अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2017 अनवानी श्री हरीराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति मेघवाल वार्ड न0 9 गांव 36 पीटीपी मन्नीवाल तहसील सादुलशहर बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर।

09.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरीराम उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2017 के द्वारा तीन बिन्दुओ की सूचना जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा उसका आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित कर दिया गया और उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्र दिनांक 28.0217 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2''च'' व 7(9) का हवाला देकर सूचना देने से ईन्कार किया है जो सही नही है। अतः उसे सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो की उल्लंघना के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरी राम ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> 1– गांव मन्नीवाली के राशन कार्ड संख्या 006478401338 को दिनांक 09.01.2013 से लेकर दिनांक 30.12.2016 तक राशन डीलर द्वारा गेहूं, चीनी तथा केरोसीन कब कब तथा कितनी मात्रा व किस किस दिनांक को राशन डीलर द्वारा दिया गया। लिखित में सूचना देने का कष्ट करें।
> 2– राशन कार्ड संख्या 006478401338 हेमराज पुत्र पुरखाराम को राशन डीलर द्वारा राशन वितरण पी.ओ.एस. मशीन में किस के अंगुठे पर दिया गया। लिखित में सूचना देने का कष्ट करे।

अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत जिला रसद अधिकारी के पत्र दिनांक 06.02.17 के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को अन्तरित किया गया है और उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा पत्र दिनांक 28.02.17 से सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण व धारा 2–च व 7(9) के अनुसार सूचना देने से ईन्कार किया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा मूल रूप से प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.17 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किया गया है और उसके द्वारा एक निश्चित राशन कार्ड संख्या 006478401338 हेमराज पुत्र पुरखाराम से संबंधित सूचना चाही है। अतः जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर चाही गई सूचनांओ के संबंध में स्वयं को नियमानुसार निर्णय करना चाहिए।

इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं उक्त राशन कार्ड धारक के संबंध में चाही गई सूचना के संबंध में आदेश प्राप्ति से 15 दिवस में नियमानुसार निर्णय करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञानो

(ज्ञानो राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official